राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 248 / 2024 | तारीख रजू 25.06.2024 | अंतिम निर्णय दिनांक 13.10.25

उनवानः

1. प्रहलाद पुत्र पूरणमल जाति सोनी निवासी ग्राम नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. सोमदत्त पुत्र पूरणमल जाति सोनी निवासी ग्राम नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। .....वादी

बनाम

1. खुशी पुत्री कुलदीपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. नीरज देवी पत्नी अशोक कुमार जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. मंजीत पुत्र कुलदीपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 नाबालिंग जरिये संरक्षक सरपरस्त दादी श्रीमती राजवती जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली'बहरोड राज0।
4. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितीः–श्री मनोज कुमार मुदगल योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 118 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित है। उक्त खसरा नम्बर का कदीम से बाहमी बंटवारा किया हुआ है बाहमी बक ंटवारा के मुताबिक खातेदार रामसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह राजपूत निवासी कोलीला सांगा का मौके पर हिस्सा–1/2 तरफ दक्षिण मे कब्जा था उसके मुताबिक ही हम वादीगण ने आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा खरीद किया गया है और रामसिंह ने हम वादीगण को तरफ दक्षिण मे ही कब्जा दिया गया था। इसलिए वख्त खरीद से आराजी मुतनाजा के 1/2 भाग तरफ दक्षिण मे कब्जा काश्त करली आ रही है। बाहमी बंटवारा के मुताबिक हम वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा जाह चुका है लेकिन प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा के मुताबिक तकासमा करवाने से इंकार कर दिया और आराजी मुतनाजा का अच्छा से अच्छा भाग पर जबरन कब्जा कर उसे अपना बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करनें की धमकी दी है। इसलिए आराजी मुतनाजा का मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाकर, मौके पर किये गये बाहमी बंटवारा के मुताबिक आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासमा किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये प्रतिवादीगण की तामिल जरिये अखबार होने के बावजूद भी प्रतिवादी सं0 1

उपखण्ड अधिकारी

लगा0 6 अदालत मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। तत्पश्चात वकील वादी द्वारा दावा का निस्तारण करने का निवेदन किया गया। हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी है लेकिन प्रतिवादीगण बावजूद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही हुऐ है। लेकिन फिर भी आराजी मुतनाजा के सभी खातेदारो के हितो को ध्यान मे रखते हुऐ वादीगण के दावा को दिनांक 04.08.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर, तहसीलदार नीमराना को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ता संबंधि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.08.2025 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 118 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 10.09.2025 को तैयार करवाकर, इस न्यायालय मे दिनांक 18.09.2025 को पेश की गई। वकील वादीगण उपस्थित, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश, कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार दिनांक 10.09.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 118 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 के तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है कि:–

टेबल सं0 1

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	खुशी चौहान पुत्री कुलदीपसिंह चौहान हि0–1/4 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	118/1	0.5250
2.	ना.बा.मंजीत चौहान पुत्र कुलदीपसिंह चौहान संरक्षक दादी राजवती हि0–1/4 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	कुल किता–1	कुल रकबा 0.5250 है0
3.	नीरज देवी पत्नी अशोक कुमार हि0–1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार		

टेबल सं0 2

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	प्रहलाद पुत्र पूरणमल हि0–1/2 जाति सोनी सा0 नीमराना खातेदार	118/2	0.5250
2.	सोमदत्त पुत्र पूरणमल हि0–1/2 जाति सोनी सा0 नीमराना खातेदार	कुल किता–1	कुल रकबा 0.5250 है0

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 13.10.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
(आर.ए.एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवंपदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
248 / 2024	25.06.2024	13.10.25

उनवानः

1. प्रहलाद पुत्र पूरणमल जाति सोनी निवासी ग्राम नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. सोमदत्त पुत्र पूरणमल जाति सोनी निवासी ग्राम नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। .....वादी

बनाम

1. खुशी पुत्री कुलदीपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. नीरज देवी पत्नी अशोक कुमार जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. मंजीत पुत्र कुलदीपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 नाबालिंग जरिये संरक्षक सरपरस्त दादी श्रीमती राजवती जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली'बहरोड राज0।
4. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितीः–श्री मनोज कुमार मुदगल योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश, कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार दिनांक 10.09.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 118 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 के तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है किः– **टेबल सं0 1**

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	खुशी चौहान पुत्री कुलदीपसिंह चौहान हि0–1/4 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	118/1	0.5250
2.	ना.बा.मंजीत चौहान पुत्र कुलदीपसिंह चौहान संरक्षक दादी राजवती हि0–1/4 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	कुल किता–1	
3.	नीरज देवी पत्नी अशोक कुमार हि0–1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	कुल रकबा 0.5250 है0	

टेबल सं0 2

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	प्रहलाद पुत्र पूरणमल हि0–1/2 जाति सोनी सा0 नीमराना खातेदार	118/2	0.5250
2.	सोमदत्त पुत्र पूरणमल हि0–1/2 जाति सोनी सा0 नीमराना खातेदार	कुल किता–1	
		कुल रकबा 0.5250 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.10.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
(आर.ए.एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)